दिनांकः 15.11.2017 को प्रधान सचिव, कृषि की अध्यक्षता में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा हेतु आयोजित बैठक की कार्यवाही।

1. उपस्थिति – संलग्न।
2. कृषि विभाग के लिए उपलब्ध योजना उद्व्यय 2402.7696 करोड़ रूपये के विरूद्ध योजना लोक वित्त समिति/पूर्व में स्वीकृत/स्थायी वित्त समिति के द्वारा 1682.4745 करोड़ रूपये की योजना अनुशंसित है। अभी तक मात्र 1538.3042 करोड़ रूपये का स्वीकृत्यादेश निर्गत हो सका है जिसके विरूद्ध दिनांकः 14.11.2017 तक मात्र 207.989 करोड़ रूपये की निकासी कोषागार से की गई है, जो कुल उद्व्यय का 8.647 प्रतिशत है। वार्षिक योजना 2017–18 अंतर्गत केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अधीन केन्द्रांश मद में 578.823 करोड़ रूपये एवं राज्यांश मद में 507.861 करोड़ रूपये कुल 1086.684 करोड़ रूपये उद्व्यय निर्धारित है। केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए लोक वित्त समिति/स्थायी वित्त समिति के द्वारा केन्द्रांश मद में 391.355 करोड़ एवं राज्यांश मद में 322.6921 करोड़ रूपये कुल 714.0472 करोड़ रूपये की योजना अनुशंसित है जिसके विरूद्ध 582.4142 करोड़ रूपये का स्वीकृत्यादेश निर्गत किया जा चुका है तथा दिनांक 14.11.2017 तक 45.16 करोड़ रूपये व्यय किया गया है।
3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए 189.228 करोड़ रूपये उद्व्यय के विरूद्ध 76.7448 करोड़ रूपये का स्वीकृत्यादेश निर्गत है जिसके विरूद्ध कोषागार से निकासी की गयी राशि 0.1691 करोड़ रूपये है।
4. राष्ट्रीय तेलहन एवं ऑयलपाम मिशन के लिए 3.1629 करोड़ रूपये उद्व्यय के विरूद्ध 3.4474 करोड़ रूपये स्वीकृत्यादेश निर्गत किया गया है जिसके विरूद्ध कोषागार से निकासी की गयी राशि 0.0158 करोड़ रूपये है।
5. राष्ट्रीय कृषि संधारणीय मिशन के लिए 40.9428 करोड़ रूपये उद्व्यय के विरूद्ध 34.70466 करोड़ रूपये का स्वीकृति आदेश निर्गत किया गया है तथा कोषागार से निकासी की गयी राशि शून्य है।
6. परम्परागत कृषि विकास योजना के लिए 40.205 करोड़ रूपये उद्व्यय निर्धारित है। जिसके अन्तर्गत 27.9362 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृत्यादेश प्रारूप आई.एफ.ए. की सहमति हेतु उपस्थापित है। शेष 12.2688 करोड़ रूपये का योजना प्रसताव अब तक अप्राप्त है।
7. राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लिए 43.85 करोड़ रूपये उद्व्यय के विरूद्ध 43.85 करोड़ रूपये का व्यय हेतु आदेश निर्गत किया गया है तथा कोषागार से निकासी की गयी राशि शून्य है।

8. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (भूमि संरक्षण) के लिए 41.667 करोड़ रूपये का व्यय हेतु आदेश निर्गत किया गया है तथा कोषागार से निकासी की गयी राशि शून्य है।

9. सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के लिए 90.38852 करोड़ रूपये उद्व्यय के विरूद्ध शत् प्रतिशत व्यय हेतु आदेश निर्गत किया गया है तथा कोषागार से निकासी की गयी राशि शून्य है।

10. नेशनल ई–गर्वेनेंस प्लान के लिए 6.076 करोड़ रूपये उद्व्यय के विरूद्ध 4.20 करोड़ रूपये का व्यय हेतु आदेश निर्गत किया गया है तथा कोषागार से निकासी की गयी राशि शून्य है।

11. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 373.5294 करोड़ रूपये उद्व्यय के विरूद्ध 287.4159 करोड़ रूपये का व्यय हेतु आदेश निर्गत किया गया है तथा कोषागार से निकासी की गयी राशि 44.9607 करोड़ रूपये है।

12. सब मिशन ऑन सीड प्लांटिंग मेटेरियल, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाईजेशन एवं माप–तौल सुदृढ़ीकरण योजना के लिए योजना स्वीकृत नहीं हो पाई है क्योंकि योजना प्रस्ताव अप्राप्त है।

13. समीक्षा के क्रम में निम्न निदेश दिए गएः–

13.1 योजना स्वीकृति हेतु सभी नोडल पदाधिकारी अविलम्ब प्रस्ताव उपलब्ध करावें।

13.2 सभी संबंधित योजना के नोडल पदाधिकारी को तीव्र गति से योजना व्यय सुनिश्चित करने के निदेश दिया गया।

13.3 भारत सरकार से केन्द्रांश मद में प्रथम किस्त में प्राप्त राशि के विरूद्ध उपयोगिता प्रमाण–पत्र भेजी जाय ताकि द्वितीय किस्त प्राप्त हो सके।

13.4 जिन योजनाओं में भारत सरकार से एलोकेशन अथवा राशि प्राप्त नहीं हुई है, उद्व्यय की आवश्यकता के अनुरूप उद्व्यय प्रत्यार्पित करने का निदेश दिया गया है।

(signature) 17.11.2018

(सुधीर कुमार)
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक पी.पी.स्था.17/2017 4509 /कृ०, पटना, दिनांकः 17-11-2017

प्रतिलिपि :– निदेशक, कृषि/निदेशक, उद्यान/निदेशक, भूमि संरक्षण को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Tripathi 17/11/17

निदेशक, पी०पी०एम०,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक पी.पी.स्था.17/2017 4509 /कृ०, पटना, दिनांकः 17-11-2017

प्रतिलिपि :– निदेशक, बामेति/संयुक्त निदेशक, कृषि अभियंत्रण/ संयुक्त निदेशक(रसायन)–सह– प्रभारी पदाधिकारी, परम्परागत कृषि विकास योजना एवं नमसा/ उप निदेशक (बीज)/प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना/ प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय तेलहन एवं ऑयल पाम मिशन/ उप निदेशक, उद्यान–सह–प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय बागवानी मिशन/ प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन/ संयुक्त निदेशक, उद्यान–सह–प्रभारी पदाधिकारी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (सुक्ष्म सिंचाई योजना), उद्यान निदेशालय/ उप निदेशक (शष्य) सूचना–सह–प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय ई–गवर्नेन्स प्लान, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

Tripathi 17/11/17

निदेशक, पी०पी०एम०,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।